न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपीलः 02/2019

दायर दिनांकः 11.03.2019

निर्णय दिनांक 05.03.2020

—:अनवानः—

श्री मोहनसिंह पिता देवीसिंह बल्ला राजपूत आयु वयस्क निवासी गजपुर तहसील कुम्भलगढ़ ज़िला राजसमन्द

————अपीलांट

—:बनामः—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कुम्भलगढ़

————रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.02.2019 द्वारा न्यायालय तहसीलदार, कुम्भलगढ़ के मुकदमा नम्बर 1081/2018 ना.क. बअनवान रिपोर्ट पटवारी हल्का गजपुर बनाम मोहनसिंह

उपस्थित :—

1— श्री गोपाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री कैलाश चन्द्र बोल्या, राज0अधि0, रेस्पोडेन्ट

—::निर्णय::—

अपीलांट ने तहसीलदार, कुम्भलगढ़ द्वारा दिनांक 07.02.2019 को पारित आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय में दिनांक 01.03.2019 को अपील अर्न्तगत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई है।

पटवार हल्का गजपुर के द्वारा तहसीलदार, कुम्भलगढ़ के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थी के द्वारा राजस्व ग्राम गजपुर तहसील कुम्भलगढ के आराजी नम्बर 605/3 रकबा 00.04 बीघा, आराजी नम्बर 605/5 रकबा 00.18 बीघा, आराजी नम्बर 605/6 रकबा 00.12 बीघा एवं आराजी नम्बर 605/7 रकबा 03.16 बीघा कुल किता—04 कुल रकबा 05.10 बीघा बिलानाम भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण बताते हुए तहसीलदार कुम्भलगढ के यहॉ रिपोर्ट पेश की थी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस पेशी दिनांक 11.01.2019 को जारी किया गया उक्त नोटिस प्राप्ति

के पश्चात अपीलांट दिनांक 11.01.2019 को न्यायालय मे मय अधिवक्ता के उपस्थित हुआ और जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को आगामी पेशी दिनांक 15.01.2019 को नियत की गयी। इसके पश्चात दिनांक 30.01.2019 को पेशी नियत की गयी। उक्त दिनांक को अपीलांट द्वारा अपनी और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात के अलावा आराजी नम्बर 605/1 एवं 611 की करीब 15.00 बीघा भूमि पर अपीलांट पिछले करीब 30 वर्षो से भी ज्यादा समय से काबिज होकर साधिकार पूर्वक उपयोग उपभोग कर रहा है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजीयात मे एक कुआ भी खोद रखा है। और भूमि पर काफी खर्चा कर काश्त योग्य बनाया है। मगरी को काटकर खेत निकाले गये है। मेंडबन्दी की एवं चारो तरफ कच्ची बाउण्ड्रीवाल बनाकर महदूद कर रखा है एवं काफी मात्रा मे पेड पौधे आम व जामून कई फलदार पेड लगा रखे है एवं सअधिकार पूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग किया जा रहा है। वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट का करीब 30 वर्षो से भी अधिक समय से निर्विघ्न कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। जिसे कभी भी बेदखल नहीं किया गया है। अपीलांट का उक्त आराजीयात पर दिनांक 01.01.2000 से भी पूर्व का कब्जा होने से नियमन/आवंटन योग्य है। राज्य सरकार द्वारा भी इस संबंध मे परिपत्र जारी किया हुआ है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अवैध आदेश खारीज किये जाने योग्य है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई व अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोण्डेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बहस में बताया कि अपीलार्थी का उक्त भूमि पर 30 वर्षो से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा फसल भी प्राप्त की जा रही है। और उक्त भूमि पर काफी खर्चा कर काश्त योग्य, मेडबन्दी, कच्ची बाउण्ड्रीवाल, फलदार पेड पौधे लगाकर व सअधिकार पूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग किया जा रहा है। इसलिए अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कुम्भलगढ द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपीलांट द्वारा बिलानाम भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है। जो नियमन योग्य नहीं है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम गजपुर तहसील कुम्भलगढ किस्म बिलानाम भूमि के आराजी नम्बर 605/3 रकबा 00.04 बीघा, आराजी नम्बर 605/5 रकबा 00.18 बीघा, आराजी नम्बर 605/6 रकबा 00.12 बीघा एवं आराजी नम्बर 605/7 रकबा

03.16 बीघा कुल किता–04 कुल रकबा 05.10 बीघा बिलानाम भूमि पर अवैध रुप से अतिक्रमण किया जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट हैं। वादग्रस्त आराजी भूमि राजकीय बिलानाम भूमि होने से ऐसी राजकीय बिलानाम भूमि पर किये जाने वाले अवैध अतिक्रमणों के विरुद्ध धारा 91 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के तहत कार्यवाही की जाकर मौके से हटवाये जाने का क्षेत्राधिकार/दायित्व स्वयं तहसीलदार को प्रदत्त हैं। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, कुम्भलगढ द्वारा जो बैदखली का आदेश पारित किया गया हैं, वह न्यायोचित होना पाया जाता हैं। परिणाम स्वरुप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य होना पाया जाता हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं तथा तहसीलदार, कुम्भलगढ द्वारा पारित आदेश दिनांकः 07.02.2019 को यथावत रखा जाता हैं।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द